

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल
उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-10

देहरादून:

दिनांक 05 ^{जून} 2018

विषय:-वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष का भुगतान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 267/45/XXVII (10)/2016, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 शासनादेश संख्या-138/2017/45/XXVII (10)/2016, दिनांक 15 मई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 01-01-2016 से पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के पुनरीक्षित पेंशन का 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की पुनरीक्षित पेंशन के 50 प्रतिशत अवशेष (Arrear) धनराशि का अंतिम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 1/10/2017/XXVII/45(10)/2016

प्रतिविधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3— निदेशक, पेशान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4— निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5— निदेशक, कोषागार, पेशान एवं हकदारी 23 लक्ष्मीरोड, जलवाला देहरादून।
- 6— सम्प्रदाय मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/सहकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7— प्रभाषी एस0आर0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 8— अध्यक्ष, सेवानिवृत्त राजकीय पेशानर्स सोसलज उत्तराखण्ड देहरादून।
- 9— सोर्ड फाईल।

आज्ञा से

(आरुणोन्द सिंह चौहान)
आयस सचिव